न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः– रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.– 65/20 दायरा दिनांक :–10.07.2020 निर्णय दिनांक :– 12.04.2021

1. डालचन्द पुत्र मातादीन
2. बृजमोहन पुत्र मातादीन
3. कीमतराम पुत्र मातादीन
4. नवीनदत्त पुत्र हरिदत
5. कमलकान्त पुत्र हरिदत
6. पुष्पा देवी पत्नी हरिदत समस्त जाति ब्राहमन निवासी भुनगड़ा अहीर तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
7. हेमलता पुत्री हरिदत पत्नी अनूप कुमार जाति ब्राहमन निवासी भुनगडा अंहीर हाल निवासी टाकडी तहसील बावल जिला रेवाडी (हरियाणा) जरिये मुख्त्यारखास सुमेरसिंह पुत्र सोहनलाल जाति अहीर निवासी सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान

..........वादीगण

बनाम

1. तेजवीर दत्तक पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी जाट बहरोड।
2. बलराम पुत्र रिशाल सिंह जाति अहीर निवासी सानोली।
3. विजय देवी पत्नी बलराम अहीर निवासी सानोली तहसील मुण्डावर

..........प्रतिवादीगण

दावा हु0 ई0 दवामी अंतर्गत धारा 18 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति – 1. श्री पूरणसिंह यादव– वकील वादीगण।
2. दयाराम तंवर–वकील प्रतिवादीगण

–ःनिर्णयः–

दिनांक :– 12.04.2021

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि आराजी हाल ख0न0 288/0.08, 289/0.33, 293/0.57 है0 वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर जिला अलवर में स्थित है। इस आराजी का 1/2 भाग (सुषमा बाई का 1/20 भाग छोडकर) वादीगण की कब्जाकाश्त गैर खातेदारी की आराजी है एवम शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो रहा है। मिनवादीगण व उपरोक्त आराजी का बेचान का सौदा दिनांक 20.03.20 को डालचन्द, बृजमोहन, कीमतराम पुत्रान मातादीन, नवीनदत्त पुत्र हरिदत, पुष्पा देवी पत्नी हरिदत ने सुमेर सिंह पुत्र सोहनलाल अहीर निवासी सानोली से करके चुकता रकम लेकर मौके पर कब्जा संभला दिया तथा कब्जा पत्र उसी दिन लिख दिया तथा वादीगणों ने मिनवादी सुमेरसिंह को मुख्त्यारखास नियुक्त कर लिया एवम उक्त आराजी के बेचान का सौदा 05.06.2020 को हेमलता व कमलकान्त ने अपने हिस्से की रकम लेकर कब्जा पत्र इकरारनामा व मुख्तयारनामा तहरीर कराकर नोटेरी से तस्दीक करा दिये। तब से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.25 11:41:13 IST
Reason: SelfAttested

२५६

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

मिनवादी सुमेर सिंह ही उक्त आराजी पर काश्त करता आ रहा है। उपरोक्त आराजी से प्रतिवादीगण का किसी भी प्रकार का कोई सरोकार व संबंध या कब्जाकाश्त न तो था न है वो गैरकाबिज, गैरवास्ता आराजी है एवम प्रतिवादी संख्या 3 ने दिनांक 29.06.2030 को एक शपथ पत्र भी उक्त आराजी के बाबत लिखवाकर नोटेरी से तस्दीक कराया कि उक्त आराजी पर वादीगणों का ही कब्जा है उसका इस आराजी से कोई लेना देना नहीं है तथा प्रतिवादी नंबर 1 ने प्रथम सूचना रिपोर्ट 261 दिनांक 30.10.2018 को थाना शाहजहांपुर मे जो रिपोर्ट दर्ज कराई वो झूठे तथ्यों पर दर्ज कराई थी एवम प्रतिवादी संख्या 2 ने भी उक्त आराजी के बाबत एक स्टाम्प पर तहरीर कराई की उसका इस आराजी से कोई लेना–देना नहीं है बल्कि वादीगण ही काबिज काश्तकार है। इस प्रकार उक्त आराजी पर सुमेरसिंह 20.03.2020 से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का कोई सरोकार व संबंध नहीं है। दिनांक 01.06.2020 को प्रतिवादीगण ने आराजी पर जबरन कब्जा करने का असफल प्रयास किया व धमकी दी जिस पर श्रीमान एस. पी. साहब भिवाडी को एक तहरीरी रिपोर्ट प्रेषित की जिस पर प्रतिवादीगण को श्री सुनील ए.एस.आई. द्वारा पाबंध भी कर दिया मगर दिनांक 09. 06.2020 को समस्त प्रतिवादीगण ट्रैक्टर लेकर आये व जबरन आराजी को जोत दिया जिसकी रिपोर्ट इस्तगासा भी थानाधिकारी व सक्षम न्यायालय में भी प्रस्तुत की है इसलिए वादी प्रतिवादीगण को हु0 ई0 दवामी से पाबंद कराने का अधिकारी है। आदि–आदि का निवेदन करते हुये वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री हु0ई0 दवामी पारित की जाकर प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वे विवादित आराजी से वादी को जबरन बेदखल ना करे, ना कब्जा करे, ना ही वादी की कब्जाकाश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत ही पैदा करे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश किया। वादीगण के वाद के जिमनों को अस्वीकार करते हुये जवाब का सारतः रहा कि आराजी किसी भी प्रकार से विवादित नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि वाद में वर्णित आराजी श्यामलाल पुत्र नत्थू ब्राहमण निवासी भुनगडा अहीर के कब्जेकाश्त गैर खातेदारी की आराजी रही है तथा उसने अपनी उक्त आराजी का बेचान जरिये इकरारनामा दिनांक 26.09.1972 को भोलू पुत्र नत्थू जाट निवासी जाट बहरोड को कर दिया तथा कब्जा दे दिया तथा भोलू पुत्र नत्थू अपनी खरीदशुदा आराजी पर काबिज होकर काश्त करता रहा उसके बाद श्यामलाल बिना औरत ना औलाद फौत हो गया जिसका इंतकाल संख्या 446 वादीगण संख्या 1 लगायत 7 के नाम दर्ज हो गया एवम भोलू पुत्र नत्थू ने अपनी उक्त आराजीयात से हम प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पूर्वज के साथ तबादला कर दिया एवम आराजी पर वक्त तबादला से ही हम प्रतिवादीगण का पूर्वज का आराजी पर कब्जाकाश्त रहा है तथा उनके फौत होने पर हम प्रतिवादी संख्या 2 व 3 काबिज है तथा आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 को कोई लेना–देना नहीं है क्योंकि भोलूराम प्रतिवादी संख्या 1 का पूर्वज रहा है। इस प्रकार पूर्वज से तबादला कर लिया था तो वाद में वर्णित आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 कोई लेना–देना नहीं है तथा वादीगण आराजी पर गैर खातेदारी व गैरवास्ता व गैरकाबिज रहे है लेकिन वादीगण रिकॉर्ड में हो रहे अपने नाम के अंकन का फायदा उठाकर इकरारनामा बिना कब्जा बेचान कर दिया जिसकी जानकारी होने पर वादीगण के खिलाफ एक इस्तगासा अदालत श्रीमान सिविल न्यायधीश मुण्डावर के विचाराधीन है इसलिए वादी का वाद चलने योग्य नहीं होकर काबिल खारिज है तथा आराजी भी राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदारी में दर्ज है इसलिए वादी को आराजी का मुख्तयारनामा भी लिखने का अधिकार नहीं है। वादीगण ने आराजी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.25 16:41:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) रा

हडपने की नीयत से उक्त वाद पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है तथा हम प्रतिवादीगण संख्या 2 के नाम आराजी के सनद पट्टा की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है इसलिए वादीगण आराजी से गैर वास्ता, गैर काबिज है तथा गैर काबिज व्यक्ति मौके पर काबिज काश्तकार को हु0ई0 दवामी से पाबंद कराने के अधिकारी नहीं है का निवेदन रहा।

चूंकि प्रकरण हु0ई0 दवामी का पेश होकर विचाराधीन है। वकील उभयपक्षकारान की बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के जिमनों को दोहराते हुये विवादित आराजी के बाबत हु0ई0 दवामी से प्रतिवादीगण को पाबंद किये जाने का निवेदन किया। ठीक इसी प्रकार वकील प्रतिवादी ने भी वादीगण के वाद के जिमनों को अस्वीकार करते हुये अपने जवाब दावा के जिमनों को दोहराते हुये वादीगण का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का अभिकथन किया। पत्रावली एवम पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किये जाने के उपरांत वादीगण के वाद को उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में विवादित आराजी हाल ख0न0 288/0.08, 289/0.33, 293/0.57 है0 वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर जिला अलवर में स्थित आराजीयात का 1/2 भाग (सुषमा बाई का 1/20 भाग छोडकर) के बाबत के वादीगण के वाद को डिक्री किया जाता है एवम प्रतिवादीगण को सदैव–सदैव के लिए उक्तानुसार आराजी मुतनाजा के बाबत हु0ई0 दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे वादी को जबरन बेदखल ना करे ना ही वादी के कब्जाकाश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करे, पाबंद रहे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(रामसिंह रजावत)
उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

यह निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat (रामसिंह रजावत)
Date: 2021.06.25 10:41:13 IST
Reason: SelfAttested

(रामसिंह रजावत)
उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी:— रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.— 65/20 दायरा दिनांक :—10.07.2020 पर्चा डिक्री दिनांक :— 12.04.2021

1. डालचन्द पुत्र मातादीन
2. बृजमोहन पुत्र मातादीन
3. कीमतराम पुत्र मातादीन
4. नवीनदत्त पुत्र हरिदत
5. कमलकान्त पुत्र हरिदत
6. पुष्पा देवी पत्नी हरिदत समस्त जाति ब्राहमन निवासी भुनगड़ा अहीर तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
7. हेमलता पुत्री हरिदत पत्नी अनूप कुमार जाति ब्राहमन निवासी भुनगडा अंहीर हाल निवासी टाकडी तहसील बावल जिला रेवाडी (हरियाणा) जरिये मुख्त्यारखास सुमेरसिंह पुत्र सोहनलाल जाति अहीर निवासी सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान

.....वादीगण

बनाम

1. तेजवीर दत्तक पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी जाट बहरोड।
2. बलराम पुत्र रिशाल सिंह जाति अहीर निवासी सानोली।
3. विजय देवी पत्नी बलराम अहीर निवासी सानोली तहसील मुण्डावर

.....प्रतिवादीगण

दावा हु0 ई0 दवामी अंतर्गत धारा 18 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955,

—: पर्चा डिक्री :—

वादी की ओर से **श्री पूरण सिह यादव एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की ओर से **श्री दयाराम तंवर एडवोकट** की उपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 12.04.2021** को **श्री रामसिह राजावत, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और डिक्री दी जाती है:—**

वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में विवादित आराजी हाल ख0न0 288/0.08, 289/0.33, 293/0.57 है0 वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर जिला अलवर में स्थित आराजीयात का 1/2 भाग (सुषमा बाई का 1/20 भाग छोडकर) के बाबत के वादीगण के वाद को डिक्री किया जाता है एवम प्रतिवादीगण को सदैव—सदैव के लिए उक्तानुसार आराजी मुतनाजा के बाबत हु0ई0 दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे वादी को जबरन बेदखल ना करे ना ही वादी के कब्जाकाश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करे, पाबंद रहे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.25 11:41:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला अलवर राज0

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.04.2021 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला अलवर राज0